



[ Estd. 1917 ]

100 years of EXCELLENCE

# पटना विश्वविद्यालय



(1917-2017)



## बजट अभिभाषण

### 2018-19

22 दिसम्बर, 2018

# पटना विश्वविद्यालय, पटना

माननीय कुलपति महोदय तथा अनुषद् के सम्मानित सदस्यगण,

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पटना विश्वविद्यालय में वर्ष 2016-17 में हुए वास्तविक आय-व्यय, 2017-18 का पुनरीक्षित आय-व्ययक प्राक्कलन तथा 2018-19 के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

पहले की तरह ही प्रस्तुत आय-व्ययक दो खण्डों में विभाजित है। खण्ड-I में राजस्व प्राप्ति एवं व्यय (Revenue Receipts & Payments) से सम्बन्धित प्राक्कलन हैं। वस्तुतः यही विश्वविद्यालय का सामान्य कोष है। खण्ड-II में पूँजी एवं विकास परियोजनाओं के आय-व्यय (Capital Receipts & Payments) दिखाये गये हैं।

**खण्ड-I आवर्तक/राजस्व प्राप्ति एवं व्यय (Recurring/Revenue Receipts & Payments):** वर्ष 2018-19 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन (Proposed Estimates of Receipts & Payments) को चार उप-शीर्षकों में यथा (1) उच्च शिक्षा विभाग (2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (3) दूर-शिक्षा निदेशालय तथा (4) स्व-वित्तपोषित/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विभाजित कर प्रस्तुत किया जा रहा है :



**खण्ड-I आवर्तक/राजस्व प्राप्ति एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण  
(Summary of the Recurring/Revenue Receipts & Payments)**

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक आय-व्यय 2016-17 ( करोड़ रू० में )	पुनरीक्षित आय-व्ययक 2017-18 ( करोड़ रू० में )	प्रस्तावित आय-व्ययक 2018-19 ( करोड़ रू० में )
(अ)	1 शिक्षा विभाग - वेतन, भत्ता, सेवानाक लाभ, आकस्मिक व्यय सहित	158.30	326.64	318.44
	2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बी.सो.ई. वेतनान्तर एवं सेवानाक लाभ पर व्यय	7.39	3.90	3.32
	3 दूर शिक्षा निदेशालय - सम्पूर्ण व्यय	2.95	3.20	3.46
	4 व्यावसायिक पाठ्यक्रम- सम्पूर्ण व्यय	9.80	8.34	10.08
	कुल - व्यय (अ)	178.67	342.08	335.30
(ब)	(-) घटाव कुल आय *(अनुदान रहित)- (ब)	23.67	31.02	31.21
(स)	कुल शुद्ध घाटे का बजट (Net Deficit Budget) (ब-अ)	(-) 155.00	(-) 311.06	(-) 304.09

**(क) वास्तविक आय-व्यय (Actuals of Receipts & Payments) 2016-17:**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रु. 158.53 करोड़ वास्तविक व्यय के विरुद्ध उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा कुल रु. 158.30 करोड़ अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया था। इस अनुदान पर खर्च आगे के वित्तीय वर्ष में हुआ है और उपयोगिता प्रमाण-पत्र तदनुसार सरकार को भेजा गया है।

**(ख) पुनरीक्षित आय-व्ययक (Revised Budget Estimates) 2017-18:**

विश्वविद्यालय ने बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष, 2017-18 के लिए अभिषद् द्वारा पारित 353.32 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट में से समस्त

आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त 30.83 करोड़ रुपये घटाने के पश्चात् 322.49 करोड़ रुपये का घाटे का बजट प्रस्तुत किया था।

उपर्युक्त के विरुद्ध वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित बजट में कुल रु०342.08 करोड़ के प्रस्तावित व्यय से विश्वविद्यालय के समस्त आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त रु० 31.02 करोड़ की आय घटाने के पश्चात् रु० 311.06 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के उपर्युक्त पुनरीक्षित प्रस्तावित बजट पर मार्च 2017 से सितम्बर 2017 तक वेतनादि/पेंशनादि मदों में कुल रु० 90.99 करोड़ का अनुदान विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के वेतनादि/पेंशनादि एवं सेवान्तक लाभ के मदों में सरकार से प्राप्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा जा चुका है।

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वर्ष 1996 एवं वर्ष 2006 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतनान्तर एवं सेवान्तक लाभ के मदों में सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान विमुक्त नहीं किये जाने के कारण कुछ लोगों को भुगतान नहीं किया गया जिसके वजह से उनमें आक्रोश है और विश्वविद्यालय को कतिपय न्यायिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है एवं अनावश्यक व्ययों का भी भार वहन करना पड़ रहा है।

( ग ) पूर्ववर्ती बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार ):

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा तत्कालीन बी.सी.ई. के सेवा निवृत्त कर्मियों के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मांगी गई कुल राशि रु० 3.90 करोड़ विमुक्त कर दिया गया है। तदनुसार इस राशि के उपयोग के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में तत्कालीन बी०सी०ई० के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन के भुगतान हेतु कुल रु० 3.32 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तावित है ।

( घ ) सृजित पद एवं कार्यरत बल ( Sanctioned posts and Employees in position ) :

शिक्षकों के स्वीकृत एवं सत्यापित कुल 888 पदों के विरुद्ध वर्ष 2016 में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 300 से भी कम हो गई थी। हर्ष का विषय है कि इस वर्ष BPSC द्वारा सहायक प्राचार्यों के चयन प्रक्रिया में तेजी आयी है और सात विषय में सहायक प्राचार्यों की नियुक्ति हो चुकी है। उम्मीद है कि वर्ष 2018 में BPSC द्वारा सारे विषयों में सहायक प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी । रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण तदर्थ एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा ली जा रही है ताकि पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

पठन-पाठन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रस्तुत बजट में वर्ग के आधार पर योग्य शिक्षकों द्वारा कक्षाओं के संचालन के लिए रुपये 50 लाख व्यय का प्रावधान किया गया है ।

इसी तरह पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल स्वीकृत 1436 पदों के विरूद्ध मात्र 702 शिक्षकेत्तर कर्मी ही कार्यरत हैं।

इसी प्रकार शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति Outsourcing द्वारा करने के लिए प्रस्तुत बजट में 18.00 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है । यह राशि मुख्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं कॉलेजों के लिए उपयोग की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि संविदा पर Outsourcing के आधार पर शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में शिक्षा विभाग द्वारा 3.00 करोड़ रुपये की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग किया जा रहा है।

#### ( ड. ) परिनियत अनुदान ( Statutory Grant ) :

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 47(i) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष परिनियत अनुदान बिहार सरकार के समेकित बिधि से देगी । इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक पाँच वर्ष पर उक्त राशि का समयानुकूल संशोधन कुलपति से विचार विमर्श के उपरांत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विकास के लिए भी समय-समय पर अतिरिक्त राशि बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में विमुक्त किया जाना है ।



इस पृष्ठ भूमि में ज्ञातव्य है कि वार्षिक परिनियत अनुदान ₹ 1.61 करोड़ 2005-06 से अभी तक अदेय है। वांछित बढ़ोत्तरी तो नहीं ही की गयी और न ही विकास कार्य के लिए भी कोई सहयोग राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई। अगर केवल परिनियत अनुदान पर विचार करें तो ₹ 1.61 करोड़ की दर से पिछले तेरह वर्षों में कुल 20.93 करोड़ रुपये राशि होती है जो अप्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त राशि नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण विश्वविद्यालय को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और विकास कार्य अवरूद्ध है। इसी अनुदान से प्रयोगशालाओं, पुस्तकालाओं आदि के आवर्तक व्यय होते थे।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान के मद में राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्युत बोर्ड को दिनांक 11.01.2013 को 55.00 करोड़ रुपये का बैंक ड्राफ्ट हस्तगत कराया गया था। फिर भी विश्वविद्यालय पर विद्युत-बकाये के रूप में लगभग 9.67 करोड़ एवं नगर निगम कर इत्यादि पर 1.73 करोड़ रुपये बाकी है, जिसकी भरपाई राज्य सरकार के सहयोग के बिना कठिन है।

### **(च) प्रस्तावित आय-व्ययक (Proposed Estimates of Receipts & Payments), 2017-18 :**

यहाँ यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक प्राक्कलन में उच्च शिक्षा विभाग पर रु० 318.44 करोड़, दूर-शिक्षा निदेशालय पर रु० 3.46 करोड़, स्ववित्तपोषित / व्यावसायिक

पाठ्यक्रमों पर रु० 10.08 करोड़ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अधीन तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग पर रु० 3.32 करोड़ अर्थात् कुल रु० 335.30 करोड़ के व्यय राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के उपरोक्त प्रस्तावित व्यय के विरुद्ध विश्वविद्यालय के सभी आन्तरिक स्रोतों से अनुमानित आय रूपये 31.21 करोड़ घटाने के पश्चात् कुल रूपये 304.09 करोड़ मात्र घाटे का बजट (Deficit Budget) सदन के पटल पर माननीय अनुषद् सदस्यों की अनुशंसा के लिये प्रस्तुत है।

तदोपरान्त, उपर्युक्त प्रस्तावित कुल घाटे की रकम में से उच्च शिक्षा पर रूपये 304.09 करोड़ के घाटे का बजट राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के समक्ष तथा रूपये 3.32 करोड़ घाटे का बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष मदवार अनुमोदन एवं अनुदान विमुक्ति हेतु भेजे जा सकेंगे।

**प्रस्तावित 2018-19 के बजट की कतिपय मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:-**

(1) वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित बजट में बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, के पत्रांक 15/बी०-1-11-2013 उ० शि०-1808 दिनांक 20.10.17 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतांक 1060 दिनांक 16.10.2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया गया है। ऐसा निर्देश था कि वर्ष 2017-18 के आधार पर वर्ष 2018-19 के वेतनादि, पेंशनादि पर जो कुल राशि आती है उस पर 155% महँगाई भत्ता की गणना की जानी है।



इसी निर्देश के अनुसार मूल वेतन एवं उसपर महँगाई भत्ता तथा मूल पेंशन और उसपर महँगाई राहत की गणना कर बजट में प्रावधान किया गया है। जुलाई 2018 में वेतन में 3% की दर से वेतन वृद्धि की बढ़ोत्तरी की गई है।

**(2)** इसी प्रकार **Schedule - A** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेंशनादि 75.10 करोड़ उपार्जित अवकाश नकदीकरण (6.66 करोड़) नई पेशन योजना (NPS) के अन्तर्गत नियोक्ता का अंशदान 15.77 करोड़ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के शिक्षकों का वेतन बकाया 46 लाख चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के ग्रेड पे की बकाया राशि 25 लाख ए०सी०पी०/ एम० सी०पी० वेतनांतर 36.35 करोड़ तथा अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकायों के भुगतान 62 लाख तथा बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के ज्ञाप सं० 15/एम-1-197/2014-1457 दिनांक 24.07.2015 के द्वारा सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्राओं से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिये जाने के कारण क्षति होने वाले राशि की भरपाई के लिए 4.19 करोड़ भी प्रस्तावित बजट में कुल रुपये 139.40 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

(Ref. Page-iv-v)

साथ ही साथ व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग के प्रबंधन कार्यक्रम में Core-faculty की सेवाएँ लेने हेतु ₹ 12 लाख का प्रावधान किया गया है।

**(3)** राज्य सरकार ने विभागीय पत्रांक 2085 दिनांक 09.12.1999 के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 1998-99 के बजट अनुदान स्वीकृति के

क्रम में यह व्यवस्था दी है कि आगे से विश्वविद्यालय अपने आन्तरिक स्रोतों की आय से ही अपने सभी प्रकार के आकस्मिक व्ययों (Contingent Expenses/Contingencies) की प्रति-पूर्ति करेगी।

उपरोक्त दिशानिदेश के आलोक में स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आन्तरिक स्रोतों के प्राप्त आय से उनके आकस्मिक व्ययों के लिए प्रस्तावित बजट 2018-19 में व्यय का प्रावधान किया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित बजट 2018-19 के **Schedule-B** के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों के लिए कुल 40.73 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय को विभिन्न आन्तरिक स्रोतों से कुल 14.99 करोड़ रुपये आय प्राप्ति का अनुमान है।

**(4)** उपरोक्त अनुमानित व्यय के अन्तर्गत प्रस्तुत बजट में विश्वविद्यालय के NAAC Accreditation, NAD, शताब्दी समारोह एवं विभिन्न जयन्ती समारोह के लिए 11.94 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

(Page- viii 'k')

**(5)** स्नातकोत्तर विभागों, कॉलेजों, संस्थानों एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनेक स्ववित्तपोषित/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational/ Self-Financed Courses) चलाए जा रहे हैं जिनपर वित्तीय वर्ष 2016-17 में वास्तविक व्यय 9.80 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2017-18 पुनरीक्षित में व्यय

पर रूपये 8.34 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपये 10.08 करोड़ व्यय के प्रस्ताव के विरुद्ध वर्ष 2016-17 में वास्तविक आय रूपये 12.55 करोड़, वित्तीय वर्ष 2017-18 पुनरीक्षित में रूपये 12.15 करोड़ आय तथा वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित बजट में रूपये 12.60 करोड़ आय प्राप्त होने की संभावना है। इसे प्रस्तुत बजट के अन्दर अलग से दर्शाया गया है।

इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन-व्यय के पश्चात् शेष राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों, विकास कार्यों एवं लम्बित व्ययों आदि पर किया जाता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आए दिन परम्परागत पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों की रूझान में कमी आई है। माननीय सदस्यों को इस समस्या के समाधान पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

**(6)** इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित बजट में आकस्मिक व्यय के मद में पुस्तकालय व्यय, प्रयोगशाला व्यय, छात्रों के क्रियाकलापों आदि का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जिसको सम्बन्धित विभाग अधिकारी के मांग के अनुसार प्रावधान किया गया है।

**(7)** पुनः वित्तीय वर्ष 2018-19 के **Schedule - C** के अन्तर्गत जनवरी 1996 से फरवरी 2015 के बीच सेवानिवृत्त हुए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के उपार्जित अवकाश- नकदीकरण की अंतर राशि तथा बी.सी.ई. के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशन के लिए कुल 3.37 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

(Page-ix)



**(8)** वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रस्तावित बजट के भीतर **Schedule-D**

के अन्तर्गत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वर्ष क्रमशः 1986, 1996 तथा 2006 से प्रभावी चतुर्थ, पंचम् एवं षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में वेतनान्तर राशि, महंगाई भत्ता अंतर राशि, विज्ञापन, बकाया विद्युत विपत्र, बकाया नगर निगम कर आदि बकायों के लिए 39.21 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है। (Page-x)

उपरोक्त के अन्तर्गत प्रस्तुत बजट 2018-19 में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतन के लिए ₹ 8.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में निदेशक, भू-खनन के पद के विरुद्ध ₹ 7.50 लाख का भी प्रावधान किया गया है।

(Page-x, Sl. No-12)

इसके अतिरिक्त प्रोन्नति के कारण शिक्षकों के वेतन में हुए बढ़ोत्तरी, अनुकम्पा के आधार पर होने वाली नियुक्ति हेतु ₹ 3.88 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (Page-x Sl. No-13-14)

**(9)** ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के पत्रांक एफ0/08-01/201 दिनांक 28.01.2004 के आलोक में, बिहार सरकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर, पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय को एन. आइ. टी. पटना का दर्जा प्रदान किया गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 29.01.2004 के पश्चात् तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (NIT) के कर्मियों के वेतनादि / पेंशनादि सहित अन्य

सम्पूर्ण व्ययभार भारत सरकार वहन करती है । किन्तु तत्कालीन बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय के उत्क्रमण की तिथि दिनांक 29.01.2004 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्तक लाभ एवं वेतनान्तर का दायित्व बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पर है । इन लोगों के सेवांतक लाभ एवं वेतनान्तर के मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित बजट में 3.90 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित बजट में 3.32 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

### **खण्ड- II अनावर्तक / पूंजी एवं विकास मद ( Non-recurring / Capital and Development ) :**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समय-समय पर पंचवर्षीय योजनाओं तथा विशेष अनुदान के साथ-साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार से विकास सम्बन्धी प्राप्त अनुदानों के आय-व्यय का उल्लेख प्रस्तुत बजट के खण्ड- II अनावर्तक / पूंजी एवं विकास मद ( Non-recurring/Capital and Development ) शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त यू.जी.सी. एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त विविध शोध-परियोजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान के आय-व्यय का व्यौरा भी इसी खण्ड में दर्शाया गया है ।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 में नये विकास कार्यों, नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर विभागों की स्थापना का प्रस्ताव एवं राज्य सरकार के विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव भी इसी खण्ड में प्रस्तावित है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

(A) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से XII पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राशि 12.53 करोड़ रुपये के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 तक विश्वविद्यालय को General Development Assistance Scheme के तहत कुल रुपये 5.01 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। प्राप्त अनुदान का विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मदों में खर्च कर लिया गया है जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शीघ्र ही भेजा जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित बजट में भवनों के जीर्णोद्धार हेतु रुपये 10 लाख एवं कैंपस के विकास हेतु रुपये 15 लाख का प्रावधान किया गया है। (Page-97)

(B) XII पंचवर्षीय योजना Merged Scheme के तहत स्वीकृत राशि 4.57 करोड़ रुपये के विरुद्ध प्राप्त रुपये 1.50 करोड़ में से रुपये 68.95 लाख राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जा चुका है वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.23 लाख का व्यय किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में कांफ्रेंसों / सेमिनार / सिंपोजियम / वर्कशॉप के लिए रुपये 20 लाख का प्रावधान किया गया है। (Page-100)

(C) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं केन्द्र सरकार से विश्वविद्यालय के विविध शोध-परियोजनाओं (Miscellaneous Research Projects/Schemes) के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित हुई थी जिसमें से कुल 2.23 करोड़ विश्वविद्यालय द्वारा परियोजनाओं के मद में विभिन्न विभागों को आवंटित कर दिया गया है।



(D) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से Infrastructure Development हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान (Additional Development Grant) मदों में वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृत 1.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध 90.00 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2017-18 में कुछ राशि खर्च के लिए प्रस्ताव था जो खर्च नहीं किया जा सका। अतः इसे वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय करने पर विचार किया जायेगा।

सम्बंधित विभागाध्यक्षों, शिक्षकों एवं अधिकारियों से आग्रह है कि प्राप्त अनुदान के उपयोग का विश्वविद्यालय के माध्यम से अंकेक्षण कराकर यू०जी०सी०/केन्द्र सरकार / राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

(E) शिक्षा विभाग के पत्रांक 1906 दिनांक 23.10.2013 के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत संस्थागत विकास के लिए पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए कुल 1516.845 करोड़ अर्थात् 303.369 करोड़ वार्षिक योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया।

तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर Outsourcing द्वारा नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इसके लिए पाँच वर्षों के लिए कुल 51.10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। साथ ही पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि हेतु स्वीकृत तकनीकी पदों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता तथा मानदण्डों

के अनुरूप भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार के आर्थिक अनुमोदन के पश्चात् प्रयास आरंभ की जायेगी ताकि प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसका निर्णय अभिषद् ने लिया है।

(F) प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्नातकोत्तर विभागों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने का प्रावधान किया गया है। यह बहुमंजिला इमारत कम से कम दस मंजिल या उससे अधिक का होगा जिसमें तीन खण्ड होंगे। इसमें साइंस ब्लॉक, मानविकी ब्लॉक एवं समाज विज्ञान ब्लॉक स्थापित किये जायेंगे। यह इमारत अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, विशेषज्ञों, वास्तुविदों और विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुपालन करते हुए बनाई जायेगी। इसपर लगभग 100 करोड़ रुपये अनुमानित व्यय होने का प्रस्ताव है। इसका विस्तारित प्रारूप विश्वविद्यालय अभियंता शीघ्र तैयार करें, ऐसा निर्देश दिया गया। (Page-105)

यह भी निर्णय लिया गया कि राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव को यू०जी०सी० एवं राज्य सरकार या अनुदान एजेंसियों को भेजा जाय। परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है।

(G) वर्ष 2018-19 में वाणिज्य महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 40 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग के प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (Page-103)

साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय के लिए प्रेक्षागृह एवं कैम्पस के निर्माण हेतु 27.81 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (Page-104)

(H) प्रधान महालेखाकार बिहार, पटना के अंकेक्षकदल द्वारा पटना विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2015-16 तक का अंकेक्षण सम्पादित किया जा चुका है परन्तु इस अवधि का अंकेक्षण (निरीक्षण) प्रतिवेदन अभी विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार बिहार को भेज दिया जाएगा।

(I) आंतरिक अंकेक्षक मेसर्स बरूण एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, पटना द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों का आन्तरिक अंकेक्षण कराया जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 का वार्षिक आय-व्यय, वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद !

पटना ।

दिनांक : 22-12-2017





Wheeler Senate House, Patna University, Patna

## **PATNA UNIVERSITY**

Ashok Rajpath, Patna - 800 005

Website : [www.patnauniversity.ac.in](http://www.patnauniversity.ac.in)